

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**

**प्रेस विज्ञप्ति**

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों (Candidates) के प्रमाण-पत्रों की सत्यापन (Certificate Verification) हेतु 19.11.2018 (सोमवार) को तिथि निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेघा क्रमांक	सत्यापन की तिथि
1	269, 290, 293, 307, 340, 343, 353, 357, 369, 377, 380, 383, 396, 408, 423, 464, 614, 676, 687, 698, 1129 एवं 1178	19.11.2018

उपरोक्त मेघाक्रम के अभ्यर्थियों को ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थिता तथा प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को प्रातः 10:00 बजे ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) पुराना सचिवालय अवस्थित "सभाकक्ष" में उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।


उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा छाया प्रतियों के दो-दो प्रति स्वःअभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे:-

- (i) जन्म तिथि प्रमाण के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जिसमें पिता का नाम भी दर्शाया गया हो।
- (ii) शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र तथा अंक सूची यथा- मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इन्टर का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अन्य कोई उच्च शैक्षणिक योग्यता हो।
- (iii) अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (iv) अनुसूचित जाति (SC) /अनुसूचित जनजाति (ST)/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (OBC & EBC)/ भू0पू0सै0 (EXSM)/ विकलांग वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र जो भारत सरकार / बिहार सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर, केन्द्र सरकार/ बिहार सरकार की सूची अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो एवं प्रमाण पत्र सत्यापन के दिन मान्य हो। अगर अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (OBC & EBC) से संबंधित हों तो जाति प्रमाण पत्र वर्तमान नियमों के अनुसार तथा उसमें संपन्न वर्ग (Creamy Layer) से संबंधित न होने का एक खंड (Clause) भी होना चाहिए।
- (v) कोई फोटोयुक्त दस्तावेज जो अभ्यर्थी को पहचान को प्रमाणित करें (Any Identity Card, Aadhar Card/Voter ID Card/ Driving Licence/ Passport etc)
- (vi) अभ्यर्थी अपने साथ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) अवश्य लाये।

सभी संबंधित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में आवश्यक जानकारी ग्रामीण विकास विभाग के बेवसाईट [www.rdd.bih.nic.in](http://www.rdd.bih.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

नोट:- (1) कृपया लिखित अनुरोध ध्यान पूर्वक पढ़ें। अगर अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों के साथ इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए तो अभ्यर्थी के अभ्यर्थिता के विरुद्ध विधि सम्मत निर्णय ले लिये जायेंगे।

(2) कृपया अन्य कोई जानकारी के लिए सुश्री आरती, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के मोबाईल नं०-9431818441 पर संपर्क कर सकते हैं।

  
(केवल तर्जुम)

संयुक्त सचिव,  
ग्रामीण विकास विभाग,


बिहार, पटना

जापांक:- 395531

दिनांक:- 31/10/18

ग्रा०वि०-३/स्था०-०४-०१/२०१८

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को ०५ (पांच) अतिरिक्त प्रतियाँ एवं कम्प्यूटर सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित प्रेस-विज्ञप्ति की प्रेस कतरन की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
संयुक्त सचिव,


ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार, पटना

जापांक:- 395531

दिनांक:- 31/10/18

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव,


ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार, पटना

जापांक:- 395531

दिनांक:- 31/10/18

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ)/ सभी संबंधित अनुशंसित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार, पटना